

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 422]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 20 अक्टूबर 2015—आश्विन 28, शक 1937

परिवहन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2015

क्र. एफ 22-05-2008-आठ.—परिवहन विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 6 मार्च, 2014 के तारतम्य में केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 108 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, राज्य शासन, एतद्वारा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (अपने जिले में) एवं आयुक्त, नगर निगमों (अपने क्षेत्र में) को अपने कर्तव्य पर यान के अग्रशीर्ष भाग पर, पीली बत्ती उनके अधिकार क्षेत्र में प्रयोग करने की अनुज्ञा प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार भार्गव, उपसचिव.